कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक /615-A/ RGSA / 2025–26 दुर्ग, दिनांक 13/05/2025

–:विज्ञापनः–

पंचायत संचालनालय अंतर्गत् Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय छग विकासभवन सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, भू–तल अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक/पंचा/आरजीएसए/144B/2025/762 दिनांक 13.03.2025 एवं पत्र कमांक आदेश क्रमांक/पंचा/आरजीएसए/144B/2025/771 दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 16/5/25 से दिनांक 30/5/25 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग(छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा निर्देश जिले वेबसाईट– https://durg.gov.in तथा जिला पंचायत दुर्ग के सूचना पटल से प्राप्त किया जा सकता है। पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

जिला समन्वयक (DPM) RGSA

पदः– जिला समन्वयक (DPM) RGSA						
क्र	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योगः–		01	0	0	0	01

- शैक्षणिक अर्हताः–

क्र0	रिक्त पद का नाम	पद की संख्या	संविदा वेतन रू0 में	निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला समन्वयक (DPM)-RGSA	01 (अनारक्षित – मुक्त)	44,450/– संविदा एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साईस/आईटी)/एम.सी.ए./बी.एस.सी.(कम्प्यूटर साईस/आईटी) में न्यूनतम 60% अंक। 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार – 70%	70
					शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
					पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
					कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंकों का अधिभार– 20%	20
					कुल अंक	100

S:\DPRC\त्याग, कार्यभार मुक्त आदेश\rgsa DPM bharti.docx

उक्त संविदा रिक्त पद की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :–

1. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी। (आयु के संबंध में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र सलग्न करें)
2. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
4. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किए गए समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के स्व–प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त माना जावेगा।
5. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो. तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
9. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छग सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ की पात्रता नहीं होगी।
12. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तद्उपरांत निर्धारित

अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।

14. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक कमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ई–मेल की जानकारी अनिवार्य रुप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। साथ ही शासन से अनुदान प्राप्त शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का पे–स्लीप व प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विकासखण्ड समन्वयक या इनके समकक्ष अथवा इनसे उच्च पदों पर कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा।
17. अनुभव प्रमाण पत्र में कार्यालय का नाम, जावक क्रमांक एवं दिनांक जारीकर्ता अधिकारी की पदमुद्रा/सील एवं कार्य अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
18. 06 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा। 6 माह से अधिक अवधि के अनुभव के लिए 1 वर्ष के अनुभव का अंक दिया जावेगा। (प्रत्येक वर्ष हेतु अनुभव के अंकों की गणना इसी के अनुसार की जावेगी)।
19. **लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे।** आवेदन बंद लिफाफे में **कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–दुर्ग (छ0ग0) को प्रेषित करते हुए स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक** 30/5/25 को कार्यालयीन समय शाम 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. आवेदन पत्र व्यक्तिगत्/ई–मेल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जावेगा।
21. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
22. यथास्थिति विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार नियोक्ता कार्यालय का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होंगे।
23. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 60:40 प्रतिशत् भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है अतः योजनान्तर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य रहेगी।
24. विस्तृत नियम–शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत–दुर्ग, रोजगार कार्यालय, जिला दुर्ग एवं कार्यालय जनपद पंचायत–दुर्ग/धमधा/पाटन के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाईट https://durg.gov.in पर देखा जा सकता है।

25. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित जिला दुर्ग का आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
26. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व को होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
27. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर मान्य नही किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किये गये प्रामण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
28. दावा–आपत्ति में केवल कार्यालयीन लिपकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, अन्य किसी भी विषय पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
29. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा ।
30. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा ।
31. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
32. नियुक्ति पर अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
33. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रंत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
34. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेंय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
35. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पर किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग का होगा, जो बंधनकारी एवं सर्वमान्य होगा ।
36. विस्तृत नियम–शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत–दुर्ग, रोजगार कार्यालय, जिला दुर्ग एवं कार्यालय जनपद पंचायत–दुर्ग/धमधा/पाटन के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाईट https://durg.gov.in पर देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–दुर्ग

S:\DPRC\त्याग, कार्यभार मुक्त आदेश\rgsa DPM bharti.docx

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम ....

अभ्यर्थी नवीनतम स्व–प्रमाणित फोटो चिपकायें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दुर्ग

1. अभ्यर्थी का नाम –अ. हिन्दी में :– ....

   ब. अंग्रेजी में :– ....

2. पिता/पति का नाम :– ....

3. लिंग (महिला/पुरूष/तृतीय लिंग) :– ....

4. जन्मतिथि अ.अंको में :– ....

   ब. शब्दों में :– ....

   स. दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्षः– .... माह ....दिन.......................

   (हाई स्कुल सर्टिफिकेट 10 वीं परीक्षा का प्रमाणपत्र संलग्न करें)

5. वर्ग (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./सामान्य):– ....

6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :– ....

   :– ....

   :– ....

7. स्थायी पता (हिन्दी में) :– ....

   :– ....

   :– ....

8. मोबाईल नंबर :– ....

9. ई–मेल आई डी :– ....

10. आधार नंबर :– ....

11. शैक्षणिक योग्यता :– (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्णवर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						

12. अनुभव का विवरण (न्यूनतम वांछित अनुभव) :–

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

13. पंचायत संचालनालय अंतर्गत कार्य का अनुभव का विवरण :–

क्र.	राज्य/जिला/वि.ख. का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

14. वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी विवरण (यदि हो तो) :–

क्र.	राज्य/जिला/वि.ख. का नाम	पदनाम	विभाग/संस्था का नाम	नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1				

15. वैवाहिक स्थिति :–

(क). विवाहित / अविवाहित :– ....

(ख) विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरा जावे :–

विवाह का दिनांक :– ....

(ग) परिवार में संतानों की संख्या :– ....

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1.	6. ....
2.	7. ....
3.	8. ....
4.	9. ....
5.	10. ....

स्थान :– ....
दिनांक :– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम :– ....

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हुं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है।चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्णअधिकार होगा।

स्थान :– ....
दिनांक :– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम :– ....